न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर जिला अजमेर

रसद अपील संख्या 10/2022 (2023/54)

मिटठनलाल पुत्र श्री किशनलाल निवासी सरस्वती स्कूल के पीछे, अजमेर

.....अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिए जिला रसद अधिकारी, प्रथम अजमेर। .....रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 22 राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976

उपस्थितः— 1. श्री उत्तम गुरूबक्षानी — अभिभाषक अपीलान्ट
2. श्री नीरज जैन, प्रवर्तन अधिकारी — पैरोकार सरकार

आदेश

दिनांक 15.01.2025

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी पिछले 26 वर्षो से रसद सामग्री का वितरण कार्य कर रहा है तथा माननीय जिला कलेक्टर (रसद) अजमेर द्वारा प्राधिकार पत्र संख्या 391/94 जारी किया गया है। अपीलकर्ता के पास उचित मूल्य दुकान पर दर्ज उपभोक्ताओं के द्वारा रसद सामग्री नहीं मिलने की कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई गई। माननीय जिला रसद अधिकारी प्रथम अजमेर द्वारा प्रश्नगत निर्णय दिनांक 04.07.2022 में जिन विभागीय प्रकरण संख्या 18/2020 दिनांक 11.04.2020 एवं 33/2020 दिनांक 19.06.2020 का उल्लेख किया गया है साथ ही प्रकरण संख्या 22/2022 दिनांक 22.02.2022 का उल्लेख किया है उनके अपीलकर्ता को ना तो कोई कारण बताओ नोटिस प्राप्त हुए और ना ही अपीलकर्ता ने उनका जवाब पेश किया है जब अपीलकर्ता को कोई नोटिस प्राप्त ही नहीं हुए है तो प्रश्नगत निर्णय दिनांक 04.07.2022 में उल्लेख ही नहीं करना चाहिये था। जिला रसद अधिकारी प्रथम अजमेर ने पारित प्रश्नगत निर्णय में उनका उल्लेख करके भारी भूल की है तथा विधि विरूद्ध निर्णय पारित किया है जो निरस्त होना चाहिये। प्रश्नगत निर्णय दिनांक 04.07.2022 को गहनता से पढने पर ज्ञात होता है कि श्रीमान् जिला रसद अधिकारी प्रथम अजमेर ने अपने कार्यालय के कार्मिकों की गल्तियों को छुपाने एवं उनके विरूद्ध कार्यवाही करने के बजाय अपीलकर्ता के प्राधिकार पत्र को निरस्त करने के आदेश पारित कर दिये है जो सामाजिक न्याय के विरूद्ध निर्णय पारित किये गये है। रेस्पोडेन्ट के इसी आदेश से व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्ट को नोटिस जारी किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित आये। तत्पश्चात पत्रावली वास्ते बहस नियत की गई। सुनवाई चाहने पर उपस्थित उभय पक्ष को सुना गया।

अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील तथ्यों को दौहराते हुए मुख्यतः कथन किया कि माननीय जिला कलेक्टर (रसद) अजमेर द्वारा प्राधिकार पत्र संख्या 391/94 जारी किया गया है। अपीलकर्ता के पास उचित मूल्य दुकान पर दर्ज उपभोक्ताओं के द्वारा रसद सामग्री नहीं मिलने की कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई गई। पिछले कुछ

जिला कलेक्टर
अजमेर

वर्षो से राज्य सरकार के खाघ विभाग द्वारा रसद सामग्री वितरण हेतु हर डीलर को पोस मशीन का वितरण किया गया है एवं रसद सामग्री को इसी मशीन से उपभोक्ताओं को अंगूठा लगवाकर वितरण करने के निर्देश दिये गये है। पोस मशीनों से रसद सामग्री वितरण करने के लिए कोई प्रशिक्षण नहीं दिया गया और ना ही कोई स्पष्ट आदेश निर्देश दिये गये है। पोस मशीनों से उपभोक्ताओ के अंगूठे निशान नहीं आने पर क्या कार्यवाही करते हुए रसद सामग्री वितरण की जावे, स्पष्ट आदेश निर्देश नहीं दिये गये है। रसद कार्यालय से अधिकारियों/कार्मिको से जानकारी लेने पर किसी भी प्रकार की सहायता नहीं दी गई। रसद विभाग, उपखण्ड अधिकारी, प्रवर्तन अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा एक ही बात कही गई कि किसी उपभोक्ता की रसद सामग्री नहीं मिलने की कोई शिकायत नहीं आनी चाहिये। इस बात को मध्यनजर रखते हुए उपभोक्ताओं को रसद सामग्री का वितरण किया गया है एवं आधार कार्ड का नम्बर डालकर वितरण किया गया। माननीय जिला रसद अधिकारी प्रथम अजमेर द्वारा प्रश्नगत निर्णय दिनांक 04.07.2022 में जिन विभागीय प्रकरण संख्या 18/2020 दिनांक 11.04.2020 एवं 33/2020 दिनांक 19.06.2020 का उल्लेख किया गया है साथ ही प्रकरण संख्या 22/2022 दिनांक 22.02.2022 का उल्लेख किया है उनके अपीलकर्ता को ना तो कोई कारण बताओ नोटिस प्राप्त हुए और ना ही अपीलकर्ता ने उनका जवाब पेश किया है जब अपीलकर्ता को कोई नोटिस प्राप्त ही नहीं हुए है तो प्रश्नगत निर्णय दिनांक 04.07.2022 में उल्लेख ही नहीं करना चाहिये था। जिला रसद अधिकारी प्रथम अजमेर ने पारित प्रश्नगत निर्णय में उनका उल्लेख करके भारी भूल की है तथा विधि विरूद्ध निर्णय पारित किया है जो निरस्त होना चाहिये। श्रीमान् जिला रसद अधिकारी प्रथम अजमेर द्वारा प्रश्नगत निर्णय दिनांक 04.07.2022 में विभागीय प्रकरण 52/2022 का भी उल्लेख किया गया है परन्तु अपीलकर्ता को उसका भी कारण बताओ नोटिस प्राप्त नहीं हुआ। प्रश्नगत निर्णय दिनांक 04.07.2022 को गहनता से पढने पर ज्ञात होता है कि श्रीमान् जिला रसद अधिकारी प्रथम अजमेर ने अपने कार्यालय के कार्मिकों की गल्तियों को छुपाने एवं उनके विरूद्ध कार्यवाही करने के बजाय अपीलकर्ता के प्राधिकार पत्र को निरस्त करने के आदेश पारित कर दिये है जो सामाजिक न्याय के विरूद्व निर्णय पारित किये गये है। अपीलार्थी द्वारा माननीय जिला रसद अधिकारी प्रथम अजमेर के निर्णय दिनांक 04.07.2022 का गम्भीरता से अवलोकन करने पर यह तथ्य उजागर हुए है कि श्रीमान् जिला रसद अधिकारी प्रथम अजमेर द्वारा सर्वप्रथम प्रकरण संख्या 18/2020 दिनांक 11.04.2020 प्रकरण संख्या 33/2020 दिनांक 19.06.2020, प्रकरण संख्या 22/2022 दिनांक 22.02.2022 दर्ज किये गये बताये है जबकि अपीलकर्ता को उपरोक्त तीनो प्रकरणों के ना तो कोई कारण बताओ नोटिस प्राप्त हुए और ना ही अपीलकर्ता के जवाब प्राप्त किये गये है। दिनांक 11.04.2020 के प्रकरण एवं दिनांक 19.06.2020 के प्रकरणो को कार्यालय की गम्भीरता एवं कार्मिको की गल्तियों को छुपाने के लिये अपीलार्थी के विरूद्ध 22.02.2022 (एक वर्ष 10 माह बाद) को एक ओर प्रकरण दर्ज होना बताया है। दिनांक 22.02.2022 के बाद एक और प्रकरण संख्या 52/2022 दिनांक 31.03.2022 को दर्ज किया गया तथा यह प्रकरण (एक वर्ष 9 माह बाद) दर्ज किया गया। माननीय जिला रसद अधिकारी प्रथम अजमेर द्वारा दिनांक 22.02.2022 के बाद पत्रावली पर जो प्रोसीडिंग दर्ज कराई गई है उसमें भी काफी अनियमिताएं है। जिन पर माननीय न्यायालय को गम्भीरतापूर्वक मनन करने की आवश्यकता है एवं माननीय रसद अधिकारी प्रथम अजमेर के विरूद्ध स्वतः संज्ञान लेने की न्यायहित में आवश्यक है। दिनांक 04.07.2022 को अवैधानिक एवं विधि

न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर

जिला कलक्टर
अजमेर

विरूद्व प्रश्नगत आदेश पारित किया जिसमें अपीलाकर्ता के प्राधिकार पत्र को निरस्त करने के आदेश दिये गये है। दिनांक 04.07.2022 को प्राधिकार पत्र को निरस्त करने के उपरान्त माननीय जिला रसद अधिकारी प्रथम अजमेर ने कार्यालय आदेश क्रमांक रसद/एफपीएस/2022/ 411 दिनांक 12.08.2022 को प्राधिकार पत्र को निलम्बित करने के आदेश पारित किये गये जिसमें श्री शमशेर सिंह कोड 22329 के साथ अटेच करने के आदेश पारित किये गये है। प्राधिकार पत्र को निरस्त करने के आदेश 04.07.2022 पारित होने के बाद दिनांक 12.08.2022 को निलम्बित होने की बात लिखी गई है जो कि स्वयं विवादस्पद होना दर्शाता है। माननीय जिला रसद अधिकारी प्रथम अजमेर द्वारा अपीलकर्ता द्वारा अपने निलम्बित प्राधिकार पत्र सबंधी जानकारी लेने कार्यालय में गया तो अपीलकर्ता के सामने सम्बन्धित कार्मिक को बुलाकर अपीलकर्त्ता के विरूद्ध प्रकरण सामने रखने के लिये कहा गया और पुरानी तारीख पेशियों पर दवाब बनाकर हस्ताक्षर कराये गये। माननीय जिला रसद अधिकारी प्रथम अजमेर द्वारा अपीलकर्ता को बार बार प्रताडित कर रहे थे और काफी समय बाद अपीलकर्ता को ज्ञात हुआ कि प्राधिकार पत्र निरस्त कर दिया गया है तथा प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने, उनके अध्ययन करने व वकील से सम्पर्क करने के उपरांत बाद मियाद अपील पेश की जा रही है। अतः जिला रसद अधिकारी अजमेर के आदेश दिांक 04.07.2022 को निरस्त करने अपीलकर्ता की अपील स्वीकार करे।

जवाब में उपस्थित पैरोकार सरकार द्वारा निवेदन किया गया कि प्रकरण संख्या 18/2020 में अपीलांट की दुकान पर पोस मशीन संख्या 22423 में 3168 किग्रा गेहूं दर्ज था जबकि भौतिक सत्यापन पर 3000 किग्रा गेहूं पाया गया। इस प्रकार 168 किग्रा गेहूँ अपेक्षित स्टॉक से कम पाया गया। इसी प्रकार अन्य कमियाँ पाई गई। प्रकरण संख्या 33/2020 में मौके पर अपेक्षित स्टॉक से 35.53 क्विटल गेहूँ एवं 67 किग्रा चना, 26 किग्रा चने की दाल कम पाया गया व अन्य कमियाँ पाई गई। प्रकरण संख्या 52/2022 में ई.पी.डी.एस. पोर्टल अनुसार उचित मूल्य दुकान कोड 22423 पर 1625 किग्रा और रिक्त अटैच दुकान कोड 22416 पर 10596 किग्रा गेहूँ का स्टॉक होना चाहिए। अन्न सहायता का गेहूं गलत अपडेट होना बताया। उचित मूल्य दुकान कोड 22423 में ई.पी.डी.एस. के अनुसार एनएफएसए रेग्युलर का स्टॉक 22.02.2022 को 1574 किग्रा था जबकि उसका पोस मशीन पर गलत स्टॉक चल रहा है व अन्य कमियाँ पाई गई। अतः अप्रार्थी के विरूद्व प्रकरण संख्या 18/2020, 33/2020 व 52/2022 में अपीलार्थी को नोटिस जारी कर सुनवाई हेतु समुचित अवसर दिया गया। प्रकरण संख्या 18/2020 में 6 बिंदुओ पर नोटिस जारी किया गया बिंदु संख्या 1 अनुसार 1.68 क्विंटल का गबन आरोपित किया गया। प्रकरण संख्या 33/2020 में मात्र 2 माह बाद पुनः की गई जांच में पुनः अनियमितता व गबन का प्रकरण पाए जाने से 7 बिन्दु का नोटिस जारी किया गया। प्रकरण संख्या 18/2020 अनुसार सत्यापित कांटा सही रखने का आरोप होने के उपरांत भी पुनः जांच में सत्यापित कांटा नहीं पाया गया जो अपीलार्थी की गंभीर लापरवाही व बदनियति को दर्शाता है। प्रकरण संख्या 52/2022 में 4 बिंदू का नोटिस जारी किया गया जिसमें बिन्दु संख्या 03 अनुसार पुनः गबन होना परिलक्षित हुआ। निरीक्षण रिपोर्ट अनुसार पोस मशीन नहीं चलने से ऑनलाईन पोर्टल से स्टॉक लिया गया रिपोर्ट अनुसार एफपीएस 22423 पर 1625.75 किग्रा गेहूं दर्ज है जिसमें से 9020 किग्रा गेंहूं (अन्न सहायता का) गलत दर्ज था। विभागीय आदेशों एवं राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण एवं विनिमय) आदेश 1976 के तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्तो के उल्लंघन का

न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर

जिला कलक्टर
अजमेर

अपीलान्ट को दोषी मानते हुए जिला रसद अधिकारी, अजमेर द्वारा डीलर का प्राधिकार पत्र निरस्त किये जाने का आदेश दिनांक 04.07.2022 को पारित किया गया। अतः अपीलाधीन आदेश पूर्णतया न्यायसंगत, विधि अनुरूप तथा अपीलान्ट/डीलर द्वारा बरती गई अनियमितताओं के मध्यनजर होने से अपील अस्वीकार कर खारिज फरमाई जावे।

हमने उभय पक्ष की बहस पर मनन किया एवं रेकार्ड पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलार्थी राशन डीलर के विरूद्ध प्राप्त शिकायतो की जांच में प्रकरण संख्या 18/2020 में 6 बिंदुओ पर नोटिस जिला रसद अधिकारी (प्रथम) अजमेर द्वारा जारी किया गया बिंदु संख्या 1 अनुसार 1.68 क्विंटल का गबन आरोपित किया गया। अपीलार्थी द्वारा आरोप स्वीकार कर 168 किग्रा गेहूं बिना पोस मशीन बांटना स्वीकार किया है, तथा अपीलार्थी द्वारा जिला रसद अधिकारी के समक्ष क्षमा याचना भी इस बाबत प्रस्तुत की गई। प्रकरण संख्या 33/2020 में मात्र 2 माह बाद पुनः की गई जांच में पुनः अनियमितता व गबन का प्रकरण पाए जाने से 7 बिन्दु का नोटिस जिला रसद अधिकारी (प्रथम) अजमेर द्वारा जारी किया गया। प्रकरण संख्या 18/2020 अनुसार सत्यापित कांटा नहीं रखने का आरोप होने के उपरांत भी पुनः जांच में सत्यापित कांटा नहीं पाया गया जो अपीलार्थी की गंभीर लापरवाही व बदनियति को दर्शाता है। प्रकरण संख्या 52/2022 में 4 बिंदू का नोटिस जारी किया गया जिसमें बिन्दु संख्या 03 अनुसार पुनः गबन होना परिलक्षित हुआ। निरीक्षण रिपोर्ट अनुसार पोस मशीन नहीं चलने से ऑनलाईन पोर्टल से स्टॉक लिया गया रिपोर्ट अनुसार एफपीएस 22423 पर 1625.75 किग्रा गेहूं दर्ज है जिसमें से 9020 किग्रा गेंहूं (अन्न सहायता का) गलत दर्ज था। अपीलार्थी/अप्रार्थी के विरूद्व आरोप प्रमाणित पाये जाने पर ही जिला रसद अधिकारी, प्रथम अजमेर द्वारा उचित मूल्य दुकानदार का अनुज्ञापत्र, आदेश दिनांक 04.07.2022 द्वारा निलम्बित किया गया है। अपीलान्ट के विरूद्ध विभागीय प्रकरण संख्या 18/2020, 33/2020, व 52/2022 दर्ज कर अपीलार्थी को कारण बताओं नोटिस जारी किया गया है। अधीनस्थ आक्षेपित आदेश की पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि अपीलान्ट को मामले में जवाब सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया गया है। अपीलार्थी के विरूद्ध की गई जांच में उनके द्वारा विभागीय आदेशो व आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 व राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण एवं विनिमय) आदेश 1976 के खण्ड 8 व 9 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए प्राधिकार पत्र धारक/अपीलांट श्री मिट्ठनलाल उ0मू0दु0 पोस कोड 22423 अजमेर शहर प्राधिकार पत्र संख्या 391/1994 को निलम्बित किया गया हैं। चूंकि अपीलान्ट/डीलर के खिलाफ गंभीर अनियमितताओं के आरोप प्रमाणित पाये जाने पर ही अधिनस्थ न्यायालय द्वारा आक्षेपित आदेश से अपीलान्ट (डीलर) का प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया है लिहाजा रेस्पोडेन्ट द्वारा गुणावगुण के आधार पर पारित आदेश दिनांक 04.07.2022 में कोई कानूनी भूल किया जाना प्रकट नहीं होने से इसमें हस्तक्षेप करना न्यायसंगत नहीं है। अतः ठोस आधार नहीं होने से अपील अस्वीकार कर खारिज की जाती है। अपीलाधीन आदेश दिनांक 04.07.2022 यथावत रखा जाता है।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 15.01.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

(लोक बन्धु)
जिला कलक्टर अजमेर

न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर